

न्यायालय अति. संभागीय आयुक्त, उदयपुर  
पीठासीन अधिकारी: सी. आर. देवासी, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या – 119 / 2024 अपील (GCMS 2024/167)

पंजीयन दिनांक– 22 / 05 / 2024

निर्णय दिनांक– 03 / 07 / 2025

1. श्री मोतीलाल पिता नाना मीणा, निवासी हिरण मगरी सेक्टर-4, उदयपुर।

—अपीलांत

**बनाम**

1. प्राधिकृत अधिकारी, नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर हाल उदयपुर विकास प्राधिकरण, उदयपुर।
2. श्री बद्रीलाल पिता खातु मीणा, निवासी घोडी, तहसील खेरवाडा, जिला उदयपुर।
3. श्री शंकर पिता हकरा मीणा, निवासी 193, हिरण मगरी, सेक्टर-11, उदयपुर।
4. श्री पांचा पिता मोती मीणा, निवासी लालपुरा, तहसील सराडा, जिला उदयपुर।
5. श्री गोवर्धन पिता मोती मीणा, निवासी मोलेला फला, बलीचा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर।

—रेस्पोंडेंट्स

**उपस्थिति:—**

1. श्री हनुमान प्रसाद शर्मा अधिवक्ता अपीलांत
2. श्री पुष्कर लौहार अधिवक्ता रेस्पोंडेंट संख्या 1
3. श्री पंकज भटनागर अधिवक्ता रेस्पोंडेंट संख्या 2 व 3
4. श्री रोशनलाल जैन अधिवक्ता रेस्पोंडेंट संख्या 4 व 5

अपील अन्तर्गत धारा 90—क राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956

विरुद्ध प्राधिकृत अधिकारी, नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर हाल

उदयपुर विकास प्राधिकरण उदयपुर के आदेश क्रमांक

LU2012/UDP/2021-22/100681 दिनांक 25.10.2021

## निर्णय

दिनांक 03/07/2025

अपीलांट द्वारा यह अपील अंतर्गत धारा 90-क राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 प्राधिकृत अधिकारी, नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर हाल उदयपुर विकास प्राधिकरण उदयपुर के आदेश क्रमांक LU2012/UDP/2021-22/100681 दिनांक 25.10.2021 अंतर्गत राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क के अधीन कृषि का गैर-कृषिक प्रयोजन के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने के विरुद्ध दिनांक 17.05.2024 को प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मयाद अधिनियम मय शपथ पत्र, प्रार्थना पत्र बाबत स्थगन आदेश मय शपथ एवं प्रार्थना पत्र धारा 96 मय शपथ पत्र के साथ इस न्यायालय में पेश की गई।

इस प्रकरण में संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय प्राधिकृत अधिकारी, नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर हाल उदयपुर विकास प्राधिकरण उदयपुर के आदेश क्रमांक LU2012/UDP/2021-22/100681 दिनांक 25.10.2021 से रेस्पोंडेंट संख्या 2 से 5 को राजस्व ग्राम बलीचा की खसरा संख्या 2362/2319, 2365/893, 2367/894, 2368/898, 895, 896, 2322/888, 2321/888, 2361/2319, 1914/878, 2364/893, 2366/894, 2428/892, 2431/1915, 879, 889, 890, 891, 2432/1915 एवं 881 कुल रकबा 0.7438 हैक्टेयर भूमि का राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क के अधीन कृषि का गैर-कृषिक (आवासीय प्रयोजन) प्रयोजन के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने से व्यथित/असंतुष्ट होकर अपीलांट द्वारा यह अपील पेश की गई है।

यह अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोंडेंट्स को जरिये सम्मन सूचित किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख मंगवाया

गया। अपीलांट की ओर से अधिवक्ता श्री हनुमान प्रसाद शर्मा उपस्थित, रेस्पोंडेंट संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री पुष्कर लौहार उपस्थित, रेस्पोंडेंट संख्या 2 व 3 की ओर से अधिवक्ता श्री पंकज भटनागर उपस्थित तथा रेस्पोंडेंट संख्या 4 व 5 की ओर से अधिवक्ता श्री रोशनलाल जैन उपस्थित, उपस्थित अधिवक्ताओं द्वारा लिखित बहस पेश की गई।

अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी लिखित बहस पेश कर बताया कि वादग्रस्त भूमि जिसके मूल आराजी संख्या 887 से 898 राजस्व ग्राम बलीचा में स्थित होकर मूल खातेदार श्री बद्रीलाल, लालु, गोवर्धन एवं शंकर के संयुक्त स्वामित्व व आधिपत्य की थी। इस दौरान लालु ने अपना 1/4 हिस्सा दिनांक 30.10.2009 को अपीलांट मोतीलाल एवं धर्मचंद को संयुक्त रूप से विक्रय किया तत्पश्चात् धर्मचंद ने अपना 1/8 हिस्सा दिनांक 13.11.2009 को मोतीलाल को विक्रय किया और इस प्रकार वर्ष 2009 से उक्त भूमि में लालु का निहित 1/4 संपूर्ण हिस्से का अपीलांट मोतीलाल एक मात्र मालिक काबिज हुआ। इस तथ्य की जानकारी होते हुए इस भूमि के अन्य खातेदार बद्रीलाल पिता खातु ने एक बंटवाडे का वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गिर्वा के यहां लालु, गोवर्धन एवं शंकर के विरुद्ध प्रस्तुत किया, जिसके प्रकरण संख्या 77/2019 होकर वाद में दिनांक 03.09.2019 को प्रारंभिक डिक्री जारी करते हुए दिनांक 04.02.2020 को अंतिम डिक्री जारी की गई थी। उक्त निर्णय के विरुद्ध अपीलांट मोतीलाल पिता नाना मीणा ने न्यायालय भू-प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, उदयपुर के यहां पर बद्रीलाल व अन्य के विरुद्ध अपील प्रकरण संख्या 32/2022 प्रस्तुत की उस अपील को दिनांक 02.01.2024 को स्वीकार करते हुए अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गिर्वा द्वारा दिनांक 04.02.2020 से जारी अंतिम डिक्री बंटवाडा निरस्त किया जाकर प्रकरण पुनः प्रतिप्रेषित किया

गया, जिसमें नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर स्वयं पक्षकार थी। इस प्रकार वादग्रस्त आराजीयात का जो गलत आधारों पर बंटवाडा हुआ था उसे न्यायालय भू-प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, उदयपुर द्वारा खारिज कर दिया गया है। वादग्रस्त आराजीयात के संबंध में एक वाद रामलाल पिता भेरा गमेती ने संविदा की विशिष्ट पालना का लालु पिता मोती व अपीलांट मोतीलाल के विरुद्ध न्यायालय जिला न्यायाधीश संख्या 2, उदयपुर में प्रस्तुत कर रामलाल द्वारा यह कथन किया कि वादग्रस्त भूमि में लालु का 1/4 हिस्सा है, वह उसने जरिये इकरार क्रय किया और उसकी पालना नहीं की जा रही है तथा लालु ने इस संपत्ति को धर्मचंद, मोतीलाल को विक्रय की है। धर्मचंद व मोतीलाल अन्य को हस्तांतरित करने पर आमादा है, जिस पर अपर जिला न्यायाधीश संख्या 2, उदयपुर द्वारा प्रकरण संख्या 07/2011 से इस भूमि को अन्य हस्तांतरित नहीं करने हेतु दिनांक 22.07.2011 को स्थगन आदेश पारित किया गया था। इस तथ्य की जानकारी रामलाल को होते हुए उसने लालु की मृत्यु के पश्चात् उनके वारिस से जरिये रजिस्टर्ड मुख्तियार नामा आम दिनांक 10.05.2023 को अपने पक्ष में निष्पादित कराया और उस मुख्तियार नामा आम के आधार पर यह जानते हुए कि इस संपत्ति को लालु पिता मोती ने अपीलांट को विक्रय कर दी है, तो पुनः दिनांक 19.05.2023 को रेस्पोंडेंट संख्या 2 से 5 के पक्ष में निष्पादित कर दिया तथा साथ ही इस कार्यवाही के दौरान उपखण्ड अधिकारी, गिर्वा के निर्णय अंतिम डिक्री को न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, उदयपुर द्वारा दिनांक 02.01.2024 को खारिज कर दिया तथा इससे वादग्रस्त संपत्ति के नये नम्बर पडे थे, वह भी सभी मूल आराजी नम्बर 887 से 898 पुनः अस्तित्व में आ चुके है। इस प्रकार दिनांक 25.10.2021 को जो पुर्नग्रहण आदेश पारित किया गया है व अपने आप निरस्त योग्य है। उक्त सभी तथ्यों की जानकारी रेस्पोंडेंट संख्या 1 से 5 को होते हुए

भी रेस्पोंडेंट संख्या 1 द्वारा धारा 90-क की कार्यवाही की गई है, वह दुषित होने से खारिज की जावें तथा अपील अपीलांट स्वीकार की जाने बाबत निवेदन किया गया।

अधिवक्ता रेस्पोंडेंट संख्या 1 ने अपनी लिखित बहस पेश कर बताया कि राजस्व ग्राम बलीचा के आराजी नम्बर 2362/2319, 2365/893, 2367/894, 2368/898, 895, 896, 2322/888, 2321/888, 2361/2319, 1914/878, 2364/893, 2366/894, 2428/892, 2431/1915, 879, 889, 890, 891, 2432/1915 एवं 881 कुल रकबा 0.7438 हैक्टेयर भूमि के संबंध में राजस्व जमाबंदी के खातेदारों द्वारा रेस्पोंडेंट संख्या 1 के कार्यालय में आवासीय रूपांतरण कराने हेतु विधिवत् आवेदन किया गया, जिस पर रेस्पोंडेंट संख्या 1 द्वारा वर्णित आराजीयात भूमि के संबंध में राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम के तहत धारा 90-क के तहत विधिक प्रक्रिया अपनाते हुए पुर्नग्रहण आदेश दिनांक 25.10.2021 को पारित किया गया। उक्त पुर्नग्रहण आदेश की कार्यवाही राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम में वर्णित प्रावधान अनुसार अखबार में प्रकाशन कराते हुए की गई है। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज की जाने बाबत निवेदन किया गया।

अधिवक्ता रेस्पोंडेंट संख्या 2 से 5 ने अपनी संयुक्त लिखित बहस पेश कर बताया कि अपीलांट ने मौजा ग्राम बलीचा की कृषि भूमि आराजी संख्या 887 से 898 कुल कित्ता 12 रकबा 0.8100 का आज तक रिकार्डेड खातेदार नहीं है, केवल मात्र विक्रय पत्र के आधार पर अपना हक व स्वत्व बताते है, जिसके लिये अभी भी वाद उपखण्ड न्यायालय, गिर्वा में विचाराधीन है। उक्त वर्णित भूमि वर्तमान में राजस्व रेकार्ड में नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर के नाम दर्ज होने से धारा 90-क कार्यवाही की गई है, वह उचित है। अपीलांट द्वारा यह वर्णित किया गया है कि उपखण्ड अधिकारी, गिर्वा द्वारा अंतिम

डिक्री की अपील राजस्व अपील प्राधिकारी, उदयपुर के न्यायालय में की, जहां पर अपीलांट को पक्षकार मानकर अपील की सुनवाई कर प्रकरण को पुनः उपखण्ड न्यायालय, गिर्वा को प्रतिप्रेषित किया, जहां अभी भी प्रकरण विचाराधीन है तथा कोई निर्णय पारित नहीं किया है। जब तक सक्षम न्यायालय द्वारा अपीलांट को अपीलाधीन आराजीयात का खातेदार घोषित नहीं किया जाता, तब तक अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को चुनौति देने का कोई अधिकार नहीं है। अपीलाधीन आराजी कुल कितना 12 रकबा 0.8100 हैक्टेयर भूमि के बारे में उपखण्ड अधिकारी, गिर्वा के न्यायालय में बंटवाडे का वाद चल रहा है जो एक बार दिनांक 04.02.2020 को अंतिम डिक्री किया गया एवं जिसकी अपील में अपीलीय न्यायालय द्वारा अपील को आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर प्रकरण उपखण्ड अधिकारी, गिर्वा को रिमाण्ड किया गया है, जो अभी भी विचाराधीन है तथा उपखण्ड अधिकारी, गिर्वा के न्यायालय में उदयपुर विकास प्राधिकरण पक्षकार ही नहीं है, ऐसी स्थिति में अपीलांट जब तक भूमि का रिकार्डेड खातेदार घोषित नहीं हो जाता है तक तक रेस्पोंडेंट संख्या 1 के विरुद्ध अपील का कोई औचित्य नहीं है, यह कथन कि उपखण्ड अधिकारी, गिर्वा के निर्णय के आधार पर जो बंटवाडा हुआ वह निरस्त हो चुका है, परंतु क्या रिमाण्ड के बाद कोई बंटवारा हुआ और उसमें अपीलांट का कोई हिस्सा तय हुआ? नहीं हुआ और जब कोई विधिक बंटवाडा ही नहीं हुआ तो अपीलांट का कोई क्लेम उपखण्ड अधिकारी, गिर्वा के न्यायालय नहीं बनता है, जैसा की अपीलांट स्वयं स्वीकार करता है कि उसे पुर्नग्रहण आदेश दिनांक 25.10.2021 की जानकारी दिनांक 02.05.2024 को होना पूर्णतया गतल है, क्योंकि पुर्नग्रहण आदेश के पूर्व नोटिस जारी होते हैं और अखबारों में नोटिस सांया होते हैं। अपीलांट स्वयं कहता है कि उसने भूमि दिनांक 30.10.2009 को क्रय की तो क्यो कर आज तक इसका नामांतरकरण नहीं खुलवाया।

वास्तविकता यह है कि इन आराजीयात बाबत जिला न्यायालय, उदयपुर में भी वाद चल रहा है, जिसे अपीलांट स्वयं स्वीकार कर रहे हैं। अपीलांट स्वयं कथन करते हैं, कि आराजीयात में लालु का 1/4 हिस्सा दिनांक 30.10.2009 को क्रय किया, किन्तु बंटवाडे के वाद में अपीलांट को पक्षकार नहीं बनाया, इसके लिए अपीलांट स्वयं जिम्मेदार है तथा पक्षकार नहीं बनने का कारण आराजीयात बाबत जिला न्यायालय में भी प्रकरण चल रहा है, विचाराधीन है। इस प्रकार आराजीयात पर अपीलांट का कोई हक व अधिकार नहीं है। राजस्व अपील प्राधिकारी, उदयपुर द्वारा अपने निर्णय दिनांक 02.01.2024 में नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर के विरुद्ध किसी तकह को कोई निर्णय पारित नहीं किया है। अपीलांट स्वयं स्वीकार करते हैं कि वादग्रस्त आराजीयात के संबंध में संविदा की विशिष्ट पालना हेतु जिला न्यायालय में प्रकरण पेश किया है, जो जैर पेण्डिंग है। अपीलांट द्वारा यह कहीं नहीं बताया कि पुर्नग्रहण आदेश 25.10.2021 में क्या त्रुटि रेस्पोंडेंट संख्या 1 द्वारा की गई है, जबकि उक्त आदेश पुर्णतया नियमानुसार होकर उचित है। अतः उक्त अपील खारिज की जाने बाबत निवेदन किया गया।

प्रकरण में यह सुस्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 25.10.2021 की अपील अपीलांट द्वारा दिनांक 17.05.2024 को पेश की गयी है। अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार नहीं था अतएवं उसे अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की पूर्व जानकारी होना प्रमाणित नहीं है, अतएवं अपीलांट की अपील को न्यायहित में कण्डोन किया जाता है।

प्रकरण में अब हम अपीलांट के दफा 96 जाप्ता दीवानी के आवेदन पर विचार करना उचित समझते हैं। अपीलांट द्वारा अपने आवेदन में यह वर्णित किया है कि वह अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार नहीं था। वादग्रस्त भूमि के संबंध में आदेश पारित करते

समय प्रार्थी को नोटिस जारी नहीं किया गया, न ही प्रार्थी को सुना गया था। हम यह पाते हैं कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित किया है, उसमें अपीलांट की भूमि प्रभावित होती है, अतएवं अपीलांट को आवश्यक, हितबद्ध पक्षकार प्रथम दृष्टया उचित समझते हैं, तदनुसार दफा 96 जाप्ता दीवानी का आवेदन स्वीकार किया जाता है।

प्रकरण में उभयपक्षों द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। अब हम प्रकरण में अपील में गुणावगुण पर निर्णय पारित करना उचित समझते हैं। अधीनस्थ न्यायालय प्राधिकृत अधिकारी, नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर हाल उदयपुर विकास प्राधिकरण उदयपुर के आदेश क्रमांक LU2012/UDP/2021-22/100681 दिनांक 25.10.2021 से रेस्पोंडेंट संख्या 2 से 5 को राजस्व ग्राम बलीचा की खसरा संख्या 2362/2319, 2365/893, 2367/894, 2368/898, 895, 896, 2322/888, 2321/888, 2361/2319, 1914/878, 2364/893, 2366/894, 2428/892, 2431/1915, 879, 889, 890, 891, 2432/1915 एवं 881 कुल रकबा 0.7438 हैक्टेयर भूमि का राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क के अधीन कृषि का गैर-कृषिक (आवासीय प्रयोजन) प्रयोजन के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने से व्यथित/असंतुष्ट होकर अपीलांट द्वारा यह अपील पेश की गई है।

प्रकरण में यह सुस्पष्ट है कि श्री लालु पिता मोती भील, निवासी बलीचा, तहसील गिर्वा, उदयपुर द्वारा आराजी संख्या 887 से 898 कुल कित्ता 12 रकबा 0.8100 हैक्टेयर भूमि का 1/4 हिस्सा श्री धर्मचंद पिता बाबरू मीणा, निवासी थुरिया मगरी, उमरडा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर एवं श्री मोतीलाल पिता नाना मीणा, निवासी हिरण मगरी, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर को जरिये विक्रय पत्र

दिनांक 30.10.2009 से विक्रय किया गया। तत्पश्चात् श्री धर्मचंद पिता बाबरू मीणा, निवासी थुरिया मगरी, उमरडा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर द्वारा आराजी संख्या 887 से 898 कुल किता 12 रकबा 0.8100 हैक्टेयर भूमि का 1/8 हिस्सा भी श्री मोतीलाल पिता नाना मीणा, निवासी हिरण मगरी, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर को जरिये विक्रय पत्र दिनांक 13.11.2009 से विक्रय किया गया प्रमाणित है।

प्रकरण में यह भी स्पष्ट है कि श्री बद्रीलाल पिता खातु मीणा, निवासी घोड़ी, तहसील खेरवाडा, जिला उदयपुर द्वारा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गिर्वा, जिला उदयपुर के न्यायालय में एक वाद अंतर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर राजस्व ग्राम बलीचा की आराजी नम्बर 887 से 898 कुल किता 12 रकबा 0.8100 हैक्टेयर भूमि के वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 3 संयुक्त खातेदार होकर काबिज चले आ रहे हैं, जिसमें प्रत्येक का 1/4, 1/4 हिस्सा है। वादी अपने 1/4 हिस्से का बंटवारा करवाकर अलग कब्जा प्राप्त करना चाहता है। अतः विवादित आराजीयात का पक्षकारान् के मीट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन किया जावे तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किया जावे।

इसी प्रकरण में पूर्व में अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गिर्वा द्वारा दिनांक 12.03.2014 को वादी का वाद स्वीकर कर प्रारंभिक डिक्री जारी की गई थी। तत्पश्चात् प्राप्त विभाजन प्रस्ताव के आधार पर दिनांक 03.06.2017 को अंतिम डिक्री जारी की, जिसके विरुद्ध श्री गोवर्धनलाल पिता मोती भील, निवासी चौधरी पेट्रोल पम्प के पास, राष्ट्रीय राज मार्ग संख्या 8, बलीचा उदयपुर ने अधीनस्थ न्यायालय भू-प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, उदयपुर के न्यायालय में अपील संख्या 116/2016 प्रस्तुत की, जिसे

अधीनस्थ न्यायालय भू-प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, उदयपुर द्वारा दिनांक 16.03.2019 को स्वीकार करते हुए प्रकरण पुनः निर्णय करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गिर्वा, जिला उदयपुर को प्रतिप्रेषित किया गया।

अधीनस्थ न्यायालय भू-प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, उदयपुर के उक्त आदेश दिनांक 16.03.2019 की पालना में अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गिर्वा जिला उदयपुर द्वारा प्रकरण पुनः दर्ज कर दिनांक 03.09.2019 को वादी बद्रीलाल का वाद स्वीकार कर प्रारंभिक डिक्री जारी की। तत्पश्चात विभाजन प्रस्ताव के आधार पर दिनांक 04.02.2020 को अंतिम डिक्री जारी की गई, जिससे रूष्ट होकर वर्तमान अपील के अपीलांट श्री मोतीलाल पिता नाना मीणा, निवासी हिरण मगरी, सेक्टर नम्बर 4, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर द्वारा अपील पुनः अधीनस्थ न्यायालय भू-प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, उदयपुर को दिनांक 19.05.2022 को प्रस्तुत की गई।

उक्त अपील पर अधीनस्थ न्यायालय भू-प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, उदयपुर द्वारा प्रकरण दर्ज कर प्रकरण संख्या 32/2022 निर्णय दिनांक 02.01.2024 से निम्नानुसार निर्णय पारित किया है:— *जमाबंदी संवत् 2070 से 2073 में विवादित आराजी नम्बर 887 से 898 किता 12 रकबा 0.8100 हैक्टेयर लालु गोवर्धन पिता मोती 1/2, बद्रीलाल पिता खातू 1/4 तथा शंकर पिता हकरा 1/4 दर्ज है। अर्थात् विवादित आराजीयात में प्रतिवादी संख्या 1 (रिस्पोंडेंट संख्या 4) लालु का 1/4 हिस्सा दर्ज रेकार्ड है। लालु ने अपना 1/4 हिस्सा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 30.10.2009 से अपीलांट (मोतीलाल पिता नाना) व धर्मचंद के पक्ष में कर दिया तथा बाद में धर्मचंद द्वारा भी अपना हिस्सा 1/8 रजिस्टर्ड विक्रय दिनांक 13.11.2009 को अपीलांट (मोतीलाल पिता नाना) के पक्ष में*

कर दिया गया, जिससे अपीलांट विवादित आराजीयात के 1/4 हिस्से का मालिक हो गया। वादी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में वाद दिनांक 28.04.2011 को प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अपीलांट को पक्षकार नहीं बनाया गया है। उक्त वाद में लालू प्रतिवादी संख्या 1 के रूप में संस्थित है तथा रामलाल ने एक वाद लालू के विरुद्ध वर्ष 2010 में जिला न्यायालय न्यायाधीश संख्या 2, उदयपुर में प्रस्तुत किया था, जिससे हाल अपीलांट मोतीलाल भी प्रतिवादी संख्या 3 के रूप में संस्थित है तथा उक्त वाद में अपीलांट के पक्ष में किये गये विक्रय का उल्लेख है। दिनांक 30.10.2019 को पटवारी हल्का द्वारा बनाये गये पर्चा मौके में लालू की मृत्यु हो जाने का कथन अंकित है, जबकि लालू के वारिसान को बिना कायम मुकाम बनाये अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 04.02.2020 को अंतिम डिक्री जारी कर दी गयी है, जिससे उक्त डिक्री मृत व्यक्ति के विरुद्ध जारी होने से निरस्त योग्य है तथा उक्त डिक्री के आधार पर बाद में राजस्व अभिलेखों में जो भी अंकन हुए हैं व भी निरस्त योग्य है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय डिक्री दिनांक 04.02.2020 अपास्त की जाती है तथा पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रकरण में अपीलांट मोतीलाल को प्रतिवादी संख्या 5 के रूप में संस्थित कर एवं सुनवाई व साक्ष्य सबुत प्रस्तुत करने का पूर्ण अवसर देकर अपीलांट के पक्ष में किये गये विक्रय पत्रों को ध्यान में रखते हुए प्रकरण में पुनः नये सिरे से निर्णय पारित करें।”

अतः प्रकरण में विधिक स्थिति यह परिलक्षित होती है कि अधीनस्थ न्यायालय भू-प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, उदयपुर द्वारा प्रकरण संख्या 32/2022 निर्णय दिनांक 02.01.2024 से अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गिर्वा के प्रकरण संख्या 77/2019 निर्णय डिक्री दिनांक 04.02.2020 के आधार

पर बाद में राजस्व अभिलेखों में जो भी अंकन हुए हैं व भी निरस्त योग्य माने हैं तथा निर्णय डिक्री अपास्त करते हुए प्रकरण निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाकर अपीलांट मोतीलाल को प्रतिवादी संख्या 5 के रूप में संस्थित कर एवं सुनवाई व साक्ष्य सबुत प्रस्तुत करने का पूर्ण अवसर देकर अपीलांट के पक्ष में किये गये विक्रय पत्रों को ध्यान में रखते हुए प्रकरण में पुनः नये सिरे से निर्णय पारित करने करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गिर्वा को निर्देशित किया गया है, उक्त प्रकरण में नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर हाल उदयपुर विकास प्राधिकरण, उदयपुर स्वयं रेस्पोंडेंट संख्या 6 के रूप पक्षकार थे।

अतः उक्तानुसार प्रकरण में वर्णित आराजीयात का श्री लालु पिता मोती भील, निवासी बलीचा, तहसील गिर्वा, उदयपुर द्वारा 1/4 हिस्सा श्री धर्मचंद पिता बाबरू मीणा, निवासी थुरिया मगरी, उमरडा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर एवं श्री मोतीलाल पिता नाना मीणा, निवासी हिरण मगरी, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर को जरिये विक्रय पत्र दिनांक 30.10.2009 से तथा श्री धर्मचंद पिता बाबरू मीणा, निवासी थुरिया मगरी, उमरडा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर 1/8 हिस्सा श्री मोतीलाल पिता नाना मीणा, निवासी हिरण मगरी, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर को जरिये विक्रय पत्र दिनांक 13.11.2009 से विक्रय किये जाने के बाद के समस्त विक्रय विलेखों के आधार पर राजस्व अभिलेखों में जो भी अंकन हुए हैं उनको अधीनस्थ न्यायालय भू-प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, उदयपुर द्वारा प्रकरण संख्या 32/2022 निर्णय दिनांक 02.01.2024 से निरस्त होने योग्य माना है।

पक्षकारान् के मध्य एक अन्य प्रकरण प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 सपठित धारा 151 व्य. प्र. सं. प्रकरण संख्या 07/2011 मु. दी. न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश संख्या-2,

उदयपुर के प्रकरण में वर्णित आराजीयाज के संबंध में निर्णय दिनांक दिनांक 22.07.2011 से "प्रार्थी वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 39 नियम 1 व 2 सपठित धारा 151 व्य. प्र. सं. स्वीकार किया जाकर मूल वाद के निर्णय तक विपक्षी संख्या 2 व 3 को इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 2 में वर्णित भूमि के 1/4 हक व हिस्से को अन्य को किसी भी प्रकार से अंतरित नहीं करे, अपने नाम से राजस्व रिकार्ड में अंकित नही कराये, वादग्रस्त भूमि की स्थिति में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं करें तथा कब्जा किसी अन्य को हस्तांतरित नहीं करें। विवादित भूमि को आवासीय या अन्य प्रयोजनार्थ रूपांतरित नहीं करावें।" हांलाकि प्रकरण में मूल वाद दिनांक 21.04.2025 को निर्णित हो चुका है, परंतु तत्समय नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर द्वारा की गई 90-क की कार्यवाही के दौरान न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश संख्या-2, उदयपुर द्वारा जारी अस्थाई निषेधाज्ञा प्रभावी थी।

उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यात्मक एवं विधिक स्थिति के दृष्टिगत यह न्यायालय पाता है कि भू-प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, उदयपुर द्वारा उपखण्ड अधिकारी, गिर्वा के निर्णय डिक्री दिनांक 04.02.2020 के आधार पर बाद में राजस्व अभिलेखों में जो भी अंकन हुए है व भी निरस्त होने योग्य माने है तथा नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर द्वारा की गई 90-क की कार्यवाही के दौरान न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश संख्या-2, उदयपुर द्वारा जारी अस्थाई निषेधाज्ञा प्रभावी थी।

अधीनस्थ न्यायालय प्राधिकृत अधिकारी, नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर हाल उदयपुर विकास प्राधिकरण, उदयपुर द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत आवेदन पर विधिक एवं तथ्यात्मक परीक्षण किये बिना अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जिसका यह न्यायालय समर्थन करना उचित नही समझता है। उपरोक्त समग्र विवेचनानुसार

अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय प्राधिकृत अधिकारी, नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर हाल उदयपुर विकास प्राधिकारी, उदयपुर का निर्णय दिनांक 25.10.2021 अपास्त किया किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय सुनाया गया।

(सी. आर. देवासी)  
अति. संभागीय आयुक्त,  
उदयपुर